बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०:–2/अ0प्र0–1–88/2021 25 /पटना, दिनांक :– 6.1.23

गया जिला अन्तर्गत टिकारी प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत सिमुआरा से इस्माइलपुर भाया बलावा पथ के निर्माण की जांच राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। राज्य गुणवत्ता समन्वयक के पत्रांक 505 अनु0 दिनांक 26.08.2021 के माध्यम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार पथ के चैनेज 616 मी0 एवं 2460 मी0 पर पायी गयी WBM Grade-III की मुटाई प्रावधानित मोटाई 75 mm से क्रमशः 28mm एवं 23 mm कम पायी गयी। पथ के चैनेज 15 मी0, 930 मी0, 1900 मी0, 2400 मी0 एवं 2410 मी0 पर Localised Settlement पाए गए। पथ में पूर्व से अवस्थित Cement Concrete Pavement पर MSS किया हुआ पाया गया जबकि प्रावधान SDBC करने का था। पथ के प्रथम कि0मी0 में लगभग 250 मी0 लम्बाई में MSS का किया गया कार्य का Surface क्षतिग्रस्त पाया गया।

2. जॉच पदाधिकारी द्वारा पथ का निर्माण कार्य Ongoing Stage में होने के कारण पायी गयी त्रुटियों का सुधार संभव होने एवं संवेदक को अबतक कोई भुगतान नहीं होने का उल्लेख किया गया।

3. जॉच प्रतिवेदन के आलोक में श्री भुपेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी, श्री अविनाश कुमार, तदेन सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी एवं श्री मनोज राम निराला, कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी से विभागीय पत्रांक 531 अनु0 दिनांक 04.03.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

4. श्री भुपेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, श्री अविनाश कुमार, सहायक अभियंता एवं श्री मनोज राम निराला, कनीय अभियंता द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 25.03.2022 विभाग को समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से पथ में पायी गयी त्रुटियों में सभी वांछित सुधार करा दिये जाने का उल्लेख करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

5. उक्त अभियंताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1334 अनु0 दिनांक 10.08.2022 द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया से मंतव्य एवं आलोच्य पथ की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी।

6. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया के पत्रांक 1420 दिनांक 11.11.2022 द्वारा उक्त पथ का निरीक्षण कर फोटोग्राफ के साथ सुधार कार्य का प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता जांचफल प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदन में स्थल पर किये गये कार्य को संतोषप्रद पाये जाने एवं पथ में सुधारात्मक कार्य कराते हुए कार्य को पूर्ण करा लिये जाने का उल्लेख किया गया। गुणवत्ता जांचफल प्रतिवेदन को स्वीकार योग्य पाया गया।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री भुपेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, श्री अविनाश कुमार, सहायक अभियंता एवं श्री मनोज राम निराला, कनीय अभियंता के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाते हुए आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री भुपेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी, श्री अविनाश कुमार, सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी एवं श्री मनोज राम निराला, कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी को प्रश्नगत् आरोपों से मुक्त किया जाता है।

2/1/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–88/2021 25 /पटना, दिनांक :– 6·1·23

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–6, 5 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री भुपेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी, श्री अविनाश कुमार, तदेन सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी एवं श्री मनोज राम निराला, तदेन कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/1/2023

विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०:–2 / अ0प्र0–9–10 / 2015 26 / पटना, दिनांक :– 6.1.23

सी0ए0जी0 की कंडिका आपत्ति (वर्ष 2011–12) पर लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन संख्या–550 की कंडिका–5.2.3 (वर्ष–2014–15) में की गयी अनुशंसा के आलोक में विभिन्न आधारों पर अयोग्य संवेदक को अनियमित रूप से संविदा प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन निराशाजनक रहने से संबंधित आरोपों पर श्री नरेन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2165 अनु0 दिनांक 04.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 410 अनु0 दिनांक 30.01.2017 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में सी0ए0जी0 के निष्कर्षों को SBD के कंडिकाओं के अनुरूप नहीं पाये जाने के आधार पर आरोप को अप्रमाणित पाया गया। जॉच प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति का मंतव्य अप्राप्त रहने के कारण मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

3. इस बीच श्री नरेन्द्र सिंह की दिनांक 17.08.2022 को मृत्यु हो जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त के आलोक में स्व0 नरेन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–2165 अनु0 दिनांक 04.07.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

2/1/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–9–10/2015 27 /पटना, दिनांक :– 6·1·23

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/1/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–9–10/2015 27 /पटना, दिनांक :– 6·1·23

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर/स्व0 नरेन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा। पत्राचार का पता–मोहल्ला–59, रेन्टल फ्लैट, डाकघर–लोहियानगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, राज्य–बिहार, पिनकोड–800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/1/2023

विशेष सचिव